

अजमेर में तेज बारिश ने शहरवासियों की फिर से चिंता बढ़ाई, कई जगह जलभराव

नाले ओवरफ्लो हुये, खानपुरा तालाब की चादर चली, खेतों में फसलें चौपट हुई

अजमेर, (कासं)।गत दिनों जहां भारी बरसात के चलते आनासागर सहित कई बस्तियों में भरे पानी की निकासी अभी तक चल रही है तो वहीं दूसरी ओर शहर में सोमवार सुबह सात बजे से नौ बजे तक दो घंटे कई धीमी तो कहीं तेज बारिश ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी। कई कॉलोनियों में तो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे जल निकासी की पुरानी व्यवस्था एक बार फिर फेल नजर आई और लोग कीचड़ व जलभराव से जूझते नजर आए।

सोमवार को अजमेर शहर सहित जिलेभर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था।तेज बारिश से पहाड़ों का पानी बांडी नदी के जरिए आनासागर झील से लगातार आरहा है,जिससे झील से प्रशासन द्वारा निरंतर पानी की निकासी की जा रही है। एक्केप चैनल में तेज



अजमेर में भारी बरसात से कई नदी-नालों में पानी की आवक हुई।

बहाव के कारण ब्रह्मपुरी का नाला लबालब होने से क्षेत्र के घरों में अभी भी पानी भरा है। आनासागर का पानी

एक्केप चैनल के जरिए खानपुरा तालाब पहुंचने से तालाब ओवरफ्लो होने से चादर चलने से पानी का सड़कों पर आ

गया, जिससे आस-पास की संपर्क सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना

■ **तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया, लोग परेशान हुये**

करना पड़ा। चादर चलने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो गई। किसानों ने प्रशासन से गिरदावरी की मांग की है।

मौसम विभाग ने 29 व 30 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए कलेक्टर लोकबंघु ने जिले के सभी एलकेजी से 12वीं तक के सरकारी व निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार बारिश से राहत दल भी सतर्क कर दिए गए हैं।

अजमेर में तेज बारिश से बांडी नदी की दीवार गिरी

अजमेर, (कासं)।स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 5.29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई पुष्कर रोड स्थित बांडी नदी रिवर फ्रंट डवलपमेंट की दीवार सोमवार सुबह हुई तेज बारिश से 200 मीटर ढह गई। हादसे के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बल्लियों व मिट्टी के कट्टों से अस्थायी सुरक्षा इंतजाम किए। बांडी नदी किनारे बनाए गए वॉकिंग ट्रेल और लाल पत्थर से सजी दीवारें स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण योजना का हिस्सा थी।

स्थानीय नागरिकों का कहना रहा कि दीवार पिछले साल भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इस बारे में नगर निगम और एंडीए

अधिकारियों को सूचना दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही का नतीजा सोमवार को सामने आया। तेज बारिश में दीवार का एक हिस्सा नदी में गिर गया।स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि सौंदर्यकरण के नाम पर महज लीपापोती की गई थी, जिस मार्ग पर दीवार ढही वह कॉलोनी का मुख्य रास्ता है, जिससे लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है।

480 मीटर का बनाया था रिवर फ्रंट
:-गौरतलब है कि पुष्कर रोड से आरके पुरम तक कुल 480 मीटर का रिवर फ्रंट बनाया गया था। ज्ञान विहार कॉलोनी के पास भी 125 मीटर निर्माण हुआ। इंटरलॉकिंग पेवर

■ **स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 5.29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी**

ब्लॉक, स्टील रेलिंग और फेंसिंग के साथ वॉकिंग ट्रेल विकसित किया गया था। दावा था कि यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी, मगर हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी का सपना बारिश में ही ध्वस्त होता नजर आया।

अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या तीन के राधा विहार कॉलोनी हरिभाऊ उपाध्याय मुख्य के पास

स्थित बांडी नदी का अजमेर विकास प्राधिकरण लाखों रुपये खर्च कर सौंदर्यीकरण कराया गया था, परंतु ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं करने के कारण कुछ समय बाद ही बांडी नदी के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गयी दीवार सोमवार को ढह गई। कांग्रेस कमेटी अजमेर उत्तर ब्लॉक बी के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल सहित कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन व एडीए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कई बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा क्षतिग्रस्त दीवार के सहारे बल्लियों

से बेरोकटिंग करा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। शैलेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही का परिणाम ही रहा कि सोमवार को प्रातः हुई बरसात में क्षतिग्रस्त दीवार ढह गयी और मलबा बांडी नदी में समा गया। शैलेंद्र अग्रवाल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्रताशीघ्र बांडी नदी की क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक कराया जाए ताकि किसी तरह की जनहानि नहीं हो। अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन संबंधी कार्य पड़ेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

दुकान खाली करने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निस्)।जिले के रायसिंहनगर में पुलिस ने दुकान खाली करने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1० हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ था।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 6 जनवरी 2024 को अनिल कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुरानी धान मंडी में किराना दुकान है। इस दुकान को लेकर उसका मालिक के साथ विवाद चल रहा है। उनके पुत्र मनीष मिमलानी के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करने के घमकी दी थी। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड का लेफ्ट हैंड बताते हुए कहा था कि दुकान शाम तक खाली कर दें, नहीं तो उनके भाई और परिवार को गोलीयों से भून देंगे।

इस मामले में थानाधिकारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कॉल

■ **आरोपी पर 10 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ था**

डिटेल का विश्लेषण कर आरोपी की मौजूदगी का पता लगाया। पुलिस ने 1० हजार रुपए के इनामी आरोपी सेटीराम उर्फ सुनील कुमार (28) को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीकानेर जिले के खाजुवाला थाना क्षेत्र के 1० बीडी का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले ही बाड़मेर जिले के सिवाना में धमकी देने का मामला दर्ज है। आरोपी से पूछताछ और जांच जारी है। इस गिरफ्तारी में कॉन्स्टेबल अशोक कुमार का विशेष योगदान रहा। पुलिस टीम में उप-निरीक्षक केदारलाल, कॉन्स्टेबल अशोक कुमार, सुमित और मनीष कुमार शामिल थे।

हथकढ़ शराब की सूचना पर डबली में दबिश, विरोध में ग्रामीणों का धरना

ग्रामीणों ने दो पुलिसकर्मियों पर महिला दुकानदार से अभद्रता करने और उसके भाई से मारपीट करने का आरोप लगाया

■ **आरोप है कि पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटते हुए नीचे गिराकर प्राइवेट पार्ट पर चोट मारी है**

की डबली चौकी के कांस्टेबल मान सिंह व शंकर गोदारा गांव में ही एक महिला की परचून दुकान पर पहुंचे थे। तभी वहां तजेंदर पाल सिंह घरेलू सामान लेने के लिए गया था, जहां उसने देखा कि कांस्टेबल शंकर गोदारा और मान सिंह दुकान की महिला दुकानदार से अभद्रता कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध

किया तो पुलिसकर्मियों ने उससे बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर आक्रोशित ग्रामीण डबली चौकी के समक्ष धरने पर बैठ गए।ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे सदर एसएचओ अजय गिरधर ने उचित जांच के साथ सोमवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया तो ग्रामीण माने।

धरनास्थल पर डबली वास मौलवी सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सुमल, डबली कुतुब सरपंच जगतार सिंह, पीलीबंगा पंचायत समिति सदस्य करण गाबा, मनीष मक्कासर, तलविंदर

गुम्बर, लवली कबोज, गोरा जग्गा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्म सिंह सहित अनेकों ग्रामीण और पीड़ित के परिजन मौजूद रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जो लोग अवैध कारोबार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की बजाए पुलिस आमजन को परेशान कर रही है।

सीओ सिटी मीनाक्षी का कहना है कि अभियान के तहत सदर पुलिस को हथकढ़ शराब की सूचना मिली थी। टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां महिलाओं ने विरोध कर दिया। इस बीच लोगों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए। शिकायत की जांच की जा रही है।

विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी का प्रयास

पाबटा, (निस्)। विराटनगर थाना क्षेत्र के मेड पुलिस चौकी इलाके के जोधुला गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। चोरों ने एक किसान के खेत में लगे 11 हजार हाइवोल्ट के बिजली के तारों को काट दिया और पास ही लगे विद्युत पोल से दो ट्रांसफार्मरों के नट बोल्ट काटकर विद्युत ट्रांसफार्मरों को नीचे गिरा दिया। हालांकि चोरी का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन चोरों ने ट्रांसफार्मरों के साथ छेड़छाड़ की, जिससे ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है और संभावना जताई जा रही है कि कुछ सामान चोरी किया गया हो सकता है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसफार्मरों से क्या-क्या सामान चोरी हुआ है। इस संबंध में पूरी जानकारी विद्युत विभाग के लाइमैन की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी।

जिला कारागृह का निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निस्)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार अभय जैन (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) एवं विशाल भार्गव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागृह भीलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठौड़ से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली एवं बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया एवं जेल परिसर में स्थित रसोईघर का भी निरीक्षण किया।

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इनके बरी होने पर राज्य सरकार की तरफ से “लीव टू अपील” दायर की गई थी। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी। ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

एडवोकेट खिलेरी ने बताया कि जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में मामला सुचीबद्ध (लिस्टेड) था। सुनवाई दो मुख्य अपीलों से संबंधित थी। इनमें पहली अपील सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। पूर्व में

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल के कारावास और 25,०0० रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ पेश “लीव टू अपील” में शामिल थी। सह अभियुक्तों (सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इन्हें बरी करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में पहले ही सलमान खान को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं सहअभियुक्तों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किया गया था। मामले में सलमान ने ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की हुई है। वहीं सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को बरी करने के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है।

एडवोकेट ने बताया कि सलमान खान के वकीलों ने उनकी सजा के खिलाफ पूर्व में एक ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की थी, ताकि उनके खिलाफ दायर अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ संलग्न किया जा सके। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रजिस्ट्री की ओर से इस मामले में मिले ट्रांसफर रिकॉर्ड का अपील नंबर राजस्थान हाईकोर्ट के नंबरों के अनुसार लिस्टेड किया जाए। तकनीकी कारणों से यह नहीं हो पाया था।

इस पर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने आज आदेश दिया कि सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महानगर/ग्रामीण जोधपुर) में पेश की गई अपील को भी ट्रांसफर पिटीशन के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में लिस्टेड किया जाए। इसके साथ ही दोनों प्रकरणों को एक साथ शामिल करते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी।

वाहन चोर गिरफ्तार

सरवाड़, (निस्)। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से तीन मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की।

जानकारी के अनुसार शहर में सांपला गेट सरवाड़ से चार दिन पहले हुई मोटरसाइकिल का खुलासा

■ **आरोपियों से तीन मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की**



पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिस पर युसुफ पुत्र जहीर खॉं निवासी नगर सरदार नगर बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी लौहा गोदाम के पीछे भटटा बस्ती केकड़ी, वहीं दूसरा आरोपी आलि

असकर पुत्र सलीम मोहम्मद निवासी मदीना मस्जिद के पास भट्ट बस्ती केकड़ी इनको डिटैन कर पूछताछ की गई, जिस पर आरोपियों ने चार बारदात कबूल की।

दूषित पानी पीने से एक दर्जन ग्रामीण बीमार

छबड़ा, (निस्)। फूलवडौदा गांव में दूषित पानी पीने से लगभग एक दर्जन ग्रामीणों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिनमें से सात का उपचार चल रहा है, जबकि चार को छुट्टी दी जा चुकी है।

बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल के पास से गुजर रहे नाले का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। गांव के कुछ लोगों द्वारा नाले का रास्ता रोकने से गंदा पानी ट्यूबवेल के आसपास जमा हो रहा है। इसी पानी का रिसाव अब ट्यूबवेल के जल स्रोत में मिल रहा है, जिससे दूषित पानी ग्रामीणों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों की तबियत बिगड़ गई, जिनमें चेतन, सुरेश, कृष्ण मुरारी, जितेंद्र, मांगीलाल, युवराज, मनोज, गीता बाई लव रूपवती को उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।

इस मामले में ब्लॉक चिकित्सा

■ **ग्रामीणों को उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, चार को छुट्टी दी**

अधिकारी हरिसिंह मीणा ने बताया कि गांव में मेडिकल टीम भेज दी गई है और पानी के सैमल लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों को फिलहाल साफ पानी उपलब्ध कराने और जल स्रोत की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, चिकित्सा प्रभारी हरिओम गोयल ने बताया कि सभी मरीजों को डायरिया, उल्टी और दस्त की शिकायत है। गांव में स्वच्छता अभियान चलाने और लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

सरसों के तेल की फैक्टरी पर दबिश, 2०0 लीटर तेल के टीन जब्त



खाद्य सुरक्षा टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की।

पाली, (निस्)। जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औरभि नियंत्रण एच गुड्टे के निर्देश पर पाली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में रानी स्टेशन में संचालित सरसों के तेल की फैक्टरी पर रविवार को दबिश दी गयी। इस दौरान सरसों के तेल की निर्माण व उत्पादक इकाई के मूल दस्तावेजों की जांच की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि रानी में वर्षों से निर्माण व उत्पादक इकाई का खाद्य लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी खाद्य कारोबार द्वारा अवैध

■ **बिना खाद्य लाइसेन्स चल रही निर्माण एवं उत्पादक इकाई में कार्रवाई की**

रूप से सरसों के 15 किलोग्राम, 5 लीटर व 1 लीटर तेल की पैकिंग का कार्य चल रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा मय दल द्वारा फैक्ट्री संचालक के निर्माण व उत्पादक इकाई व गोदाम से 32०0 लीटर सरसों व पोमोलीन तेल के टीन जब्त किये गये। इन सभी टीन पर भारतीया खाद्य मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों का लेबल पर अंकन नहीं पाया गया। टीम नेकार्यवाही करते हुयेगोदाम व निर्माण इकाई से 5 सैम्पल जांच हेतु

लिये, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ ऑर्परेंट आमप्रकाश प्रजापत, रेकसो चालक लक्ष्मणदान चरण, होमागाई दिनेश कुमार गर्ग उपस्थित रहे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि रानी मैंन बाजार मोती ऑयल मिल व मैसर्स फूलचन्द सोहनलाल की फर्म पर कार्यवाही की। मोती ऑयल मिल में बिना लेबल के 115 टीन 15 किलो के मिले, जिन्हें मौके पर सीज किया गया। साथ ही गोदाम में रखे हुये 24 टीन परी ब्रान्ड सरसों का तेल का लेबल लगा था जिस पर अवधि पर तिथि का अंकन नहीं था। साथ ही इसी गोदाम से ज्योती ब्राण्ड के रिफाईनड पोमोलीन तेल के 4० टीन सीज किये गये।